

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर।

संख्या-का/254/8/AME-AWM/30% ,गुप-बी चयन/स्पेशल ड्राइब/2023-24 (I) (114131) दिनांक 11.10.2024

सचिव/स्थापना, सलाहकार/निदेशक/सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग बड़ोदरा।
महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ एवं महाप्रबन्धक, रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज।
महाप्रबन्धक/बनारस लोकोमोटिव/बनारस, नियंत्रक अधिकारी/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।
सचिव/महाप्रबन्धक एवं अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
सचिव/सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
सभी मंडल रेल प्रबन्धक, अपर मंडल रेल प्रबन्धक, मुख्य परियोजना प्रबन्धक (गतिशक्ति), पूर्वोत्तर रेलवे।
मुख्यालय/मंडल/मंडलेत्तर ईकाई के सभी कार्मिक, यांत्रिक एवं विद्युत अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे।
सभी निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे।
रेलवे वेबसाईड प्रति।

विषय:-विशेष अभियान के अन्तर्गत सयॉई-सकाप्र/डीजल पावर, कैरेज एवं वैगन, लेवल-8, (गुप-बी) 30% सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (एलडीसीई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.03.2024 ।

.....

विशेष अभियान के अन्तर्गत सयॉई-सकाप्र/डीजल पावर, कैरेज एवं वैगन, गुप-बी, 30 प्रतिशत लेवल-8 के पद पर पदोन्नति हेतु कुल 01 (एक) अनारक्षित पद की नामिका बनाने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (एल.डी.सी.ई) CBT Mode से NAIR द्वारा सम्पन्न ऑनलाईन लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.09.2024 एवं मौखिक परीक्षा दिनांक 07.10.2024 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा सयॉई-सकाप्र, गुप-बी, 30 प्रतिशत की रिक्ति के विरुद्ध नामिका में रखने हेतु अनन्तिम रूप से सुयोग्य पाये गये हैं :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	SHAHZAD HASNAIN	INSTRUCTOR, ZRTI/ GHAZIPUR	अनारक्षित
केवल-01 (एक) नाम मात्र			

नोट:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्ययधीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदया द्वारा दिनांक 10.10.2024 को अनुमोदित है।

सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।

(आनन्द कुमार)
सकाधि/राज0
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक